संख्या-3/1395 ई-2/तेरह-2014-130/2013

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 05 अगस्त,2014

विषय:- विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12922/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्ड0 लि0 व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 30-4-2013 के अनुपालन में धनराशि वापसी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-55/दस-शीरा-आडिट/प्रशासनिक शुल्क वापसी, दिनांक 27-9-2013, पत्र संख्या-जी-102/दस-शीरा-आडिट/प्रशासनिक शुल्क वापसी, दिनांक 15 मार्च,2014 तथा पत्र संख्या-जी-32/दस-शीरा-213/प्रशासनिक शुल्क वापसी, दिनांक 03 जुलाई,2014 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रिट याचिका संख्या-11959/2009 मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्ड0 लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-3-2011, रिट याचिका संख्या- 2175/1986 मेसर्स दि हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20-5-2011 एवं रिट याचिका संख्या-974(एमबी)/1997 सरशादी लाल इण्टरप्राइजेज लि0 व अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08-9-2011 तथा इनके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 12922/2011 तथा अन्य सम्बद्ध याचिकाओं में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-2013 के अनुपालन में अन्तर्ग्रस्त चीनी मिलों, जिनकी कुल संख्या- 37, को संलग्न आगणन एवं निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासनिक शुल्क के रूप में उनसे जमा कराई गई कुल धनराशि रू0 24,59,72,498.56(रूपये चौबीस करोड. उन्सठ लाख बहत्तर हजार चार सौ अट्ठानबे एवं पैसे छप्पन मात्र) वापस किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	रिट याचिका संख्या व विषय	मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में वापस की जाने वाली धनराशि(रूपये में)
(1)	रिट याचिका संख्या-11959/2009 मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्ड0 लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17-3-2011 के अनुपालन में सम्बद्ध प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त कुल 10 चीनी मिलें।	43,46,666.20
(2)	रिट याचिका संख्या-2175/1986 मेसर्स दि हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20-5-2011 के अनुपालन में सम्बद्ध प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त कुल 26 चीनी मिलें।	19,85,33,695.91
(3)	रिट याचिका संख्या- 974(एमबी)/1997 सरशादी लाल इण्टरप्राइजेज लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08-9-2011 के अनुपालन में अन्तर्ग्रस्त कुल 01 चीनी मिल ।	4,30,92,136.45
	चीनी मिलों की कुल संख्या-37 योग-	24,59,72,498.56

http://basantosh.upnic.in

3- चीनी मिलों द्वारा जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे का मिलान/परीक्षण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार से करने के पश्चात् आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त धनराशि वापस की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी वर्ष 2014-15 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00-800- अन्य प्राप्तियाँ -90-घटाएं वापसियां-00-" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-3/1395(1) ई-2/तेरह-2014 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से।
(5) आबकारी अनुभाग-1,
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in